

2021/140

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेंट

श्री राजेश कुमार पत्रकार  
निवासी आकराभट्टा


सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी

तहसील आबूरोड़ जिला सिरौही।

तहसीलदार आबूरोड़

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 58 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
03.08.2021	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेंट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड़ को दिनांक 18.04.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि टॉड रॉक के समीप मॉर्डन इन्सुलेटर्स इकाई के समीप गुजर रहे नाले का नक्शा एवं उस पर किए गए अतिक्रमण से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयवाधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड़ को दिनांक 18.04.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि टॉड रॉक के समीप मॉर्डन इन्सुलेटर्स इकाई के समीप गुजर रहे नाले का नक्शा एवं उस पर किए गए अतिक्रमण से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। चूंकि उक्त सूचना तहसीलदार आबूरोड़ द्वारा जरिए पत्र क्रमांक 2205 दिनांक 02.06.2021 को उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">             (भगवती प्रसाद)            जिला कलक्टर, सिरौही         </p>	

